

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: मोहम्मद अजहर)

दॉ.पुनरीक्षण क.-11/17

संस्थित दिनांक 19.01.17

श्रीमती शकुन्तला पत्नी रामपाल सिंह तोमर आयु
55 वर्ष निवासी ग्राम तुकेंडा परगना गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0

.... **पुनरीक्षणकर्ता**

वि रू द्ध

1. मुरारी सिंह पुत्र सरदार सिंह,
2. मन्जू उर्फ मुन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री रामवीर सिंह
तोमर जाति दोनों तोमर निवासी ग्राम तुकेंडा परगना
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... **प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण**

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री एम.पी.एस. राणा अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण द्वारा श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता।

// **आदेश** //

(आज दिनांक 15.02.18 को पारित)

1. यह पुनरीक्षण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्री गोपेश गर्ग) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 338/12 उनवान राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर बनाम मुरारी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने फरियादिया की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा-190 दं0प्र0सं0 के तहत 19.11.14 को निरस्त करते हुए अन्य मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह तोमर के विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया है।
2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता/फरियादिया श्रीमती शकुन्तला द्वारा की गई रिपोर्ट पर से प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण मुरारी सिंह तोमर एवं मन्जू तोमर के

विरुद्ध थाना मालनपुर अपराध क्रमांक 66/12 अंतर्गत धारा-323, 294, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। धारा-325 भा0दं0सं0 का इजाफा करते हुए अभियोगपत्र मुरारी सिंह तोमर पुत्र सरदार सिंह तोमर एवं मन्जू उर्फ मुन्नी देवी पत्नी स्व0 रामवीर सिंह तोमर के विरुद्ध अभियोगपत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिया जाकर दिनांक 11.04.14 को धारा-294, 324/34 एवं 325/34 तथा 506 भाग-2 भा0दं0सं0 के तहत आरोप विरचित किए गए। प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य समाप्त होकर प्रकरण बचाव साक्ष्य हेतु नियत है। इस दौरान दिनांक 19.11.14 को विचारण न्यायालय के समक्ष फरियादिया श्रीमती शकुन्तला की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा-190 दं0प्र0सं0 का प्रस्तुत किया गया। जिसका निराकरण दिनांक 28.04.15 को करते हुए विचारण न्यायालय के द्वारा यह उल्लेखित किया कि भविष्य में साक्ष्य के आधार पर अन्य अभियुक्तगण के संबंध में न्यायालय कार्यवाही कर सकेगी। उसके बाद दिनांक 09.05.16 को अंतिम साक्षी कोकसिंह अ0सा0-05 की साक्ष्य ली गई। दिनांक 16.09.16 को फरियादिया श्रीमती शकुन्तला की ओर से द्वितीय आवेदन अंतर्गत धारा-190 दं0प्र0सं0 का प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन में यह व्यक्त किया गया कि यह साक्ष्य आई है कि मुन्नी उर्फ मन्जू सिंह तोमर का नाम ही मुन्नी तोमर पत्नी रामवीर सिंह तोमर है तथा मुन्नी तोमर को ही मन्जू तोमर के नाम से जाना जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं साक्षियों के कथन में मन्जू तोमर के द्वारा कुल्हाड़ी मारने के तथ्य है। साक्षियों ने यह बताया है कि मुन्नी तोमर से झगड़ा नहीं हुआ है और उसकी मारपीट नहीं की है। कोकसिंह अ0सा0-05 ने भी यह बताया है कि मुन्नी के पति का नाम रामवीर सिंह तोमर था तथा मन्जू मुरारी की पत्नी है। उक्त आधारों पर मुन्नी देवी उर्फ मन्जू तोमर पत्नी रामवीर सिंह तोमर के स्थान पर मन्जू पत्नी मुरारी सिंह तोमर निवासी ग्राम तुकेंडा को अभियुक्त बनाए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. जिसका लिखित उत्तर प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि उभयपक्ष के मध्य पारिवारिक

सम्पत्ति के विभाजन को लेकर विवाद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में मन्जू पत्नी मुरारी सिंह निवासी तुकेंड़ा के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। फरियादी पक्ष की जानकारी में यह तथ्य होते हुए भी फरियादी पक्ष द्वारा मन्जू पत्नी मुरारी तोमर को प्रकरण में अभियुक्त बनाए जाने के संबंध में मई 2012 से लेकर नवम्बर 2014 तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। आरोप विरचित किए जाने के विरुद्ध भी कोई चुनौती नहीं दी गई है। फरियादी पक्ष द्वारा मुन्नी उर्फ मन्जू तोमर के पुत्र हरनाम सिंह से यह समझौता किया गया है कि फरियादी पक्ष अभियुक्त मुन्नी उर्फ मन्जू के विरुद्ध न्यायालय में कोई कथन नहीं करेंगे। इसके बदले में क्रॉस प्रकरण में आहत हरनाम सिंह को प्रकरण के अभियुक्त (इस प्रकरण के फरियादी पक्ष) के विरुद्ध कोई कथन नहीं करेगा। इस प्रकरण में तीनों साक्षी हितबद्ध साक्षी है उनके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत मन्जू पत्नी मुरारी के विरुद्ध कथन किया गया है। अनुसंधानकर्ता कोकसिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मुन्नी और मन्जू एक ही महिला है। विवेचना के दौरान उन्होंने इस प्रकरण में मन्जू पत्नी मुरारी सिंह तोमर का शामिल होना नहीं पाया था। घटना के समय मन्जू पत्नी मुरारी सिंह तोमर घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। मन्जू तोमर शासकीय सेवा में है। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वर्तमान आरोपी के स्थान पर अन्य किसी को आरोपी बनाया जा सके। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किया कि क्रॉस प्रकरण आहत मुन्नी व मुरारी है। प्रथम दृष्टि में उनकी उपस्थिति घटनास्थल पर बताई गई है। यदि हस्तगत प्रकरण में घटना मन्जू पत्नी मुरारी सिंह तोमर द्वारा की गई होती तो उसी घटना दिनांक समय व स्थान पर मन्जू पत्नी मुरारी की उपस्थिति प्रकट होने पर वह क्रॉस प्रकरण क्रमांक 392/12 में प्रत्यक्ष साक्षी होती। चूंकि क्रॉस प्रकरण है। इसलिए फरियादिया को इन तथ्यों की पूर्ण जानकारी थी। क्रॉस प्रकरण में मन्जू पत्नी मुरारी साक्षी के रूप में उल्लेखित नहीं है। जिससे उसकी घटनास्थल पर उपस्थित प्रतीत नहीं होती है, यह मान्य करते हुए

फरियादिया श्रीमती शकुन्तला का आवेदन अंतर्गत धारा-190 दंडप्र0सं0 निरस्त कर दिया गया तथा मन्जू पत्नी मुरारी सिंह तोमर के विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है।

5. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से इस पुनरीक्षण में और अंतिम तर्क में यह आधार लिए गए हैं कि मन्जू तोमर उर्फ मुन्नी तोमर पत्नी रामवीर सिंह तोमर का नाम मुन्नी तोमर ही है, उसे मन्जू तोमर के नाम से नहीं जाना जाता है। इस कारण मन्जू तोमर को ही प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना कर आरोपी बनाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया गया है। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अभियुक्त मन्जू तोमर उर्फ मुन्नी तोमर एवं अभियुक्त मुरारी सिंह पुत्र सरदार सिंह के संबंध में उनके परिवार की जानकारी समग्र आई.डी., वोटर लिस्ट एवं पारिवारिक बंटवारे के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। जिसमें मतदाता सूची के क्रमांक 121 पर मुन्नी बाई पत्नी रामवीर सिंह का नाम दर्ज है, जिसमें केवल मुन्नी बाई लिखा हुआ है। इसी प्रकार क्रमांक 123 नी मन्जू तोमर का नाम लिखा हुआ है। इन तथ्यों पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/फरियादिया का आवेदन स्वीकार न करके भारी कानूनी भूल की है और विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। उक्त आधारों पर पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.16 को अपास्त करते हुए मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह तोमर को मुन्नी उर्फ मन्जू तोमर के स्थान पर अभियुक्त बनाते हुए उसके विरुद्ध संज्ञान लिए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विधिवत् आदेश पारित करना बताया गया है। उनकी ओर से यह व्यक्त किया गया है कि सोची समझी साजिश के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है क्योंकि मन्जू तोमर शासकीय सेवा में है, मुन्नी को अभियुक्त बनाए जाने के तथ्य फरियादिया शकुन्तला की जानकारी में प्रारंभ से ही रहे हैं, तब से आवेदन प्रस्तुती तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कौंस प्रकरण

में भी मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह न तो आहत् है और न ही साक्षी है। दोनों ही प्रकरणों में घटनास्थल पर कोई उपस्थित नहीं है। जो कि अभिलेख से ही दर्शित है। आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

7. इस पुनरीक्षण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

क्या विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.16 अशुद्ध, अवैध, अनौचित्यपूर्ण है तथा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य है ?

सकारण निष्कर्ष

8. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 338/15 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता/फरियादिया श्रीमती शकुन्तला की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में समग्र आई.डी., मतदाता सूची आदि, बटवारा आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मुन्नी बाई के पति का नाम स्वर्गीय रामवीर सिंह है जो मतदाता सूची क्रमांक 121 पर है। मतदाता सूची क्रमांक 123 पर मन्जू पत्नी मुरारी सिंह का नाम है। समग्र आई.डी. एवं बटवारा आदेश से भी स्पष्ट है कि मुन्नी देवी के पति का नाम स्व० रामवीर सिंह लिखा है। विवेचना अधिकारी कोकसिंह अ०सा०-05 ने भी मुन्नी देवी के पति का नाम रामवीर सिंह बताया है। स्पष्ट है कि मुन्नी देवी अथवा मुन्नी पत्नी रामवीर सिंह अलग महिला है और मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह तोमर अलग महिला है। साक्षियों की साक्ष्य में मुन्नी व शकुन्तला दोनों का सगी बहनें होना बताया है। हस्तगत प्रकरण में मुन्नी ने स्वयं का एक और नाम मन्जू तोमर होना बताया है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से भी स्पष्ट है कि मुन्नी शकुन्तला की बहन है। एक ओर शकुन्तला मुन्नी को घटना की अभियुक्त होना बताती है तथा वहीं दूसरी ओर उसकी बहन स्वयं मुन्नी, मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह तोमर को घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होना बताती है। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण की ओर

से क्रॉस प्रकरण क्रमांक 392/12 उन्वान राज्य द्वारा पुलिस मालनपुर बनाम रामपाल एवं अन्य अपराध क्रमांक 67/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा मौका, मुरारी सिंह एवं मुन्नी बाई तथा हरनाम सिंह की एम.एल.सी. की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

9. हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य है कि शकुन्तला के घर के पिछवाड़े प्लॉट पर बबूल का पेड़ खड़ा है। बगल में मुन्नी तोमर का प्लॉट है। आज सवेरे मन्जू एवं मुरारी तोमर कुल्हाड़ी लेकर उसका बबूल का पेड़ काट रहे थे, मना करने पर मां बहिन की अश्लील गालीयां दी और मन्जू तोमर ने कुल्हाड़ी मारी। इस प्रकार उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुन्नी तोमर का प्लॉट होना बताया है मन्जू तोमर के द्वारा कुल्हाड़ी मारना बताया है। संपूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि मुन्नी तोमर किस की पत्नी है। वहीं क्रॉस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त मुरारी तोमर द्वारा लिखाई गई है, जिसमें हस्तगत प्रकरण की फरियादी शकुन्तला पति रामपाल सिंह तोमर एवं सुधीर तोमर के द्वारा बबूल का वृक्ष काटने पर झगड़ा होने पर रामपाल एवं सुधीर के द्वारा मुरारी, मुन्नी एवं हरनाम की मारपीट करने के तथ्य है। दोनों ही प्रकरणों में घटना घर के पिछवाड़े प्लॉट पर ग्राम तुकेंडा की है। हस्तगत प्रकरण के नक्शा मौके में हरनाम, रामपाल, मुरारी आदि के मकान लगे हुए हैं। जिसके पीछे जगह खाली है वही स्थिति क्रॉस प्रकरण में भी है। स्पष्ट है कि दोनों ही प्रकरण एक ही समय की एक ही घटना होने से उत्पन्न प्रकरण है। क्रॉस प्रकरण में मुरारी सिंह, मुन्नी बाई एवं हरनाम सिंह के चोटें आने का उल्लेख है।

10. स्पष्ट है कि कहीं पर भी मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह तोमर का नाम नहीं है। जबकि हस्तगत प्रकरण में मुन्नी का प्लॉट बताते हुए मन्जू तोमर के द्वारा कुल्हाड़ी मारने के तथ्य है तथा हस्तगत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह तोमर घटनास्थल पर होती तो वह क्रॉस प्रकरण में आहत के रूप में होती जबकि आहत मुन्नी बाई स्व0 रामवीर तोमर है। ऐसा भी प्रकट नहीं है कि मन्जू तोमर पत्नी

मुरारी सिंह तोमर साक्षी के रूप हो। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टि में हस्तगत प्रकरण में मुन्नी पत्नी स्व० रामवीर तोमर के स्थान पर मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह तोमर का होना प्रकट ही नहीं होता है।

11. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से न्याय दृ० साजिद चन्दन वाला बनाम म०प्र० राज्य 2002 (11) एम.पी.व्हीकली नोट्स 141 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा साक्षियों के पुलिस कथनों में दर्शित था, न्यायालय में भी एक साक्षी ने उसका नाम मुख्य परीक्षण में लिया तब अभियुक्त का नाम ठीक ही जोड़ा गया। इस न्याय दृ० में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस कथन तथा न्यायालयीन कथन में अभियुक्त का नाम था। परंतु हस्तगत प्रकरण जैसी स्थिति नहीं थी। हस्तगत प्रकरण में मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह तोमर का उल्लेख नहीं है। अपितु मन्जू उर्फ मुन्नी देवी पत्नी रामवीर सिंह के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त की गई विवेचना से मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह के विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में उक्त न्याय दृ० हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार लागू नहीं है।

12. इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह तोमर के विरुद्ध संज्ञान न लिए जाने का जो आदेश किया है वह किसी भी दृष्टि से वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त आदेश में हस्तक्षेप किए जाने के कोई आधार प्रकट नहीं होते हैं।

13. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/फरियादिया श्रीमती शकुन्तला का उक्त द्वितीय आवेदन अंतर्गत धारा-190 द०प्र०स० प्रस्तुति दिनांक 16.09.16 निरस्त करते हुए अन्य व्यक्ति मन्जू तोमर पत्नी मुरारी सिंह तोमर के विरुद्ध संज्ञान न लिए जाने तथा उसे हस्तगत प्रकरण में न जोड़े जाने संबंधी आदेश किए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.16 अशुद्ध, अवैध, अनौचित्यपूर्ण होना प्रकट नहीं होता है। इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.16 हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है।

14. अतः आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.16 की पुष्टि की जाती है एवं यह पुनरीक्षण निरस्त की जाती है।

15. इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस भेजा जावे।

आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)